

ढसौदल

दंत चिकित्सा पदों के भर्ती
नियम अधिसूचना, 2015



स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)**

अधिसूचना

नई दिल्ली,

सा.का.नि.....राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दंत चिकित्सा के पदों के भर्ती नियम, 1997, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (मैक्सिलोफेशियल शल्य चिकित्सक) भर्ती नियम, 1985 तथा उसमें किए गए संशोधनों को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, दंत चिकित्सा के पदों के भर्ती नियम की शर्तों का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-

(i) इन नियमों को दंत चिकित्सा के पदों के भर्ती नियम, 2015 कहा जाएगा ;

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे सिवाय उन प्रावधानों के जो डायनमिक एस्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम के तहत विभिन्न ग्रेडों में पदोन्नति से संबंधित हैं जो कि 29.10.2008 से प्रभावी हैं।

2. आवेदन : ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. वर्गीकरण और वेतनमान: पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतनमान वे होंगे, जैसा कि इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. निरर्हता:

वह व्यक्ति,

- (क). जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या
- (ख). जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा

परन्तु यदि सरकार सहमत हो जाती है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति:

जहां सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति :

इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

1. दंत शल्य चिकित्सक

पद का नाम	पोस्ट की संख्या	वर्गीकरण
1	2	3
दंत शल्य चिकित्सक	<p>* 32 (2015)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. काम की अधिकता के आधार पर भिन्नता के अधीन। 2. दंत शल्य चिकित्सक / कनिष्ठ शल्य चिकित्सक , स्टाफ शल्य चिकित्सक (दंत), स्टाफ शल्य चिकित्सक (दंत) (एनएफएसजी) के स्तर पर संचालित करने के लिए, दंत शल्य चिकित्सा के सलाहकार को एक साथ रखा गया है। 3. पदों का संस्थान वार आवंटन इस प्रकार होगा: ---- <ol style="list-style-type: none"> i. केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना – 25 ii. डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल – 4 iii. सफदरजंग अस्पताल -3 	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित गैर-अनुसचिवीय

वेतन बैंड और ग्रेड वेतन / वेतनमान	यह चयन पद है या गैर-चयन पद है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
4	5	6
ग्रेड वेतन रू.5400 / - के साथ वेतन बैंड -3 (15600-39100 रू.) + समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नॉन-प्रैक्टिसिंग भत्ता।	लागू नहीं	35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश या आदेश के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 साल तक छूट) नोट: आयु-सीमा का निर्धारण करने की तारीख वही होगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताओं	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र और शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी या नहीं।
7	8
<p>अनिवार्य:</p> <p>(i) दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) की अनुसूची के भाग-I या भाग-II में शामिल योग्यता होनी चाहिए।</p> <p>(ii) किसी दंत चिकित्सा परिषद के साथ पंजीकृत होना चाहिए।</p> <p>नोट: - अन्यथा योग्य उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर योग्यता में छूट दी जा सकती है।</p>	लागू नहीं

परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति चाहे सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में जिस ग्रेड से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है।
9	10	11
1 वर्ष	<p>सीधी भर्ती</p> <p>नोट: स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश पर या अन्य परिस्थितियों में पदधारी के एक साल या उससे अधिक की अवधि के लिए दूर रहने पर से होने वाली रिक्तियों को केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित प्रदेश के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर स्थानांतरण पर नियुक्त करने वाले प्राधिकारी द्वारा भरा जा सकता है।</p> <p>(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले; या</p> <p>(ii) 4800/- रू. ग्रेड वेतन के साथ वेतन-बैंड-2 (9,300-34,800 रू.) में 3 वर्ष की नियमित सेवा।</p> <p>(ख) स्तंभ 7 के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखने वाले।</p> <p>(प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा मंत्रालय द्वारा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए)।</p>	लागू नहीं

यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है	जिन परिस्थितियों में भर्ती करने के दौरान संघ लोक सेवा आयोग से विचार-विमर्श किया जाएगा।
12	13
समूह क विभागीय पुष्टिकरण समिति: 1. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ---- अध्यक्ष 2. निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना ---- सदस्य 3. उप सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ---- सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक है।

2. कनिष्ठ स्टाफ शल्य चिकित्सक (दंत चिकित्सा)

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण
1	2	3
कनिष्ठ स्टाफ शल्य चिकित्सक (दंत चिकित्सा)	दंत शल्य चिकित्सक पद के लिए अनुसूची के स्तंभ (2) में दर्शाए अनुसार।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित गैर-अनुसचिवीय

वेतन बैंड और ग्रेड वेतन / वेतनमान	चयन पद है या गैर-चयन पद है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
4	5	6
ग्रेड वेतन 6600/- रु. के साथ वेतन बैंड -3 (15600-39100 रु.) + समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नॉन-प्रैक्टिसिंग भत्ता।	गैर-चयन पद	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताओं	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र और शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी या नहीं।
7	8
लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति चाहे सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेसन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेसन द्वारा भर्ती के मामले में जिस ग्रेड से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेसन किया जाना है।
9	10	11
शून्य	रिक्त पदों से संबद्ध किए बिना उसी स्थान पर पदोन्नति द्वारा।	पदोन्नति दंत शल्य चिकित्सक जिसने वेतन बैंड -3 में (रु.15600-39100) में रु.5400/- के ग्रेड वेतन में उस पद पर चार वर्ष की नियमित सेवा की हो।

यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है	जिन परिस्थितियों में भर्ती करने के दौरान संघ लोक सेवा आयोग से विचार-विमर्श किया जाएगा।
12	13
समूह क विभागीय / पदोन्नति समिति (उसी स्थान पर पदोन्नति के लिए): --- 1. अपर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय --- अध्यक्ष। 2. उप महानिदेशक (डीडीजी) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य। 3. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण ---- सदस्य	आवश्यक नहीं

3. स्टाफ शल्य चिकित्सक (दंत चिकित्सा)

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण
1	2	3
स्टाफ शल्य चिकित्सक (दंत चिकित्सा)	दंत शल्य चिकित्सक पद के लिए अनुसूची के स्तंभ (2) में दिए अनुसार।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह क राजपत्रित गैर-अनुसचिवीय

वेतन बैंड और ग्रेड वेतन / वेतनमान	क्या चयन पद है या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
4	5	6
7600/- रू. ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड -3 (15600-39100 रू.) + समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नॉन-प्रेक्टिसिंग भत्ता।	चयन पद	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताओं	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र और शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी या नहीं।
7	8
लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति चाहे सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में जिस ग्रेड से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है।
9	10	11
शून्य	रिक्त पदों से संबद्ध किए बिना उसी स्थान पर पदोन्नति द्वारा।	पदोन्नति कनिष्ठ स्टाफ शल्य चिकित्सक जिसने वेतन बैंड -3 में (रू.15600-39100) में रू.6600/- के ग्रेड वेतन में उस पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो।

यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है	जिन परिस्थितियों में भर्ती करने के दौरान संघ लोक सेवा आयोग से विचार-विमर्श किया जाएगा।
12	13
समूह क विभागीय / पदोन्नति समिति (उसी स्थान पर पदोन्नति के लिए): --- 1. अपर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय --- अध्यक्ष। 2. उप महानिदेशक (डीडीजी) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य। 3. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण ---- सदस्य	आवश्यक नहीं

*** 3. स्टाफ शल्य चिकित्सक (एनएफएसजी)**

[संशोधित भर्ती नियम में नया पद शामिल किया जाना है।]

पद का नाम	पोस्ट की संख्या	वर्गीकरण
1	2	3
स्टाफ शल्य चिकित्सक (दंत चिकित्सा) (एनएफएसजी)	दंत शल्य चिकित्सक पद के लिए अनुसूची के स्तंभ (2) में दिए अनुसार।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह क राजपत्रित गैर-अनुसचिवीय

वेतन बैंड और ग्रेड वेतन / वेतनमान	क्या चयन पद है या गैर-चयन पद है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
4	5	6
8700 / - रु. ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड -4 (रु.37400-67000) + समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नॉन-प्रेक्टिसिंग भत्ता।	चयन	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र और शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगा या नहीं।
7	8
लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / अवशोषण द्वारा नियुक्ति की विधि तथा विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / अवशोषण द्वारा नियुक्ति के मामले में ग्रेड जिससे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / अवशोषण द्वारा भर्ती किया जाना है
9	10	11
शून्य	रिक्त पदों से लिंकेज के बिना में इन-सीटू के आधार पर पदोन्नति के द्वारा।	पदोन्नति वेतन बैंड -3 में (रुपये 15600-39100) Rs.7600 / के ग्रेड वेतन के साथ ग्रेड में चार साल की नियमित सेवा के साथ स्टाफ सर्जन

यदि विभागीय पदोन्नति मौजूद है तो इसका गठन किस प्रकार से किया गया है	किन परिस्थितियों में भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से विचार-विमर्श किया जाना है
12	13
इन-सीटू पदोन्नति पर विचार करने के लिए ग्रुप 'ए' विभागीय पदोन्नति समिति: - 1. अपर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय - अध्यक्ष 2. डीजीएचएस में स्वास्थ्य सेवा के उप महानिदेशक (डीडीजी) - सदस्य 3. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय --- सदस्य	आवश्यक नहीं

4. डेंटल सर्जरी में परामर्शदाता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण
1	2	3
डेंटल सर्जरी में परामर्शदाता	जैसा कि डेंटल सर्जन के पद के लिए अनुसूची के स्तंभ (2) में दर्शाया गया है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह क राजपत्रित गैर सचिवालयीय

वेतन बैंड और ग्रेड वेतन / वेतनमान	चयन पद या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
4	5	6
वेतन बैंड -4 (.37400-67000 रुपए) ग्रेड वेतन 10,000 / - + समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता	चयन	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र और शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगा या नहीं।
7	8
लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / अवशोषण द्वारा नियुक्ति की विधि तथा विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / अवशोषण द्वारा नियुक्ति के मामले में ग्रेड जिससे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / अवशोषण द्वारा भर्ती किया जाना है
9	10	11
लागू नहीं	रिक्त पदों के लिए लिंकेज के बिना इन-सीटू के आधार पर पदोन्नति द्वारा।	पदोन्नति वेतन बैंड -4 में 8700/- रुपए के ग्रेड वेतन के साथ ग्रेड में सात वर्ष की नियमित सेवा के साथ स्टाफ सर्जन (डेंटल) (एनएफएसजी) अथवा इस संकाय में 20 साल की नियमित सेवा।

यदि विभागीय पदोन्नति मौजूद है तो इसका गठन किस प्रकार से किया गया है	किन परिस्थितियों में भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से विचार-विमर्श किया जाना है
12	13
(इन-सीटू संवर्धन के लिए) ग्रुप ए विभागीय पदोन्नति समिति - 1. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय --- अध्यक्ष 2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक या स्वास्थ्य सेवा अपर महानिदेशक --- सदस्य 3. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का कोई भी अपर सचिव --- सदस्य	आवश्यक नहीं

5. सहायक प्रोफेसर:

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण
1	2	3
सहायक प्रोफेसर	4 (2015)	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह- 'क' राजपत्रित गैर सचिवालयीय

वेतन बैंड और ग्रेड वेतन / वेतनमान	चयन पद या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
4	5	6
ग्रेड वेतन 6600 / - के साथ वेतन बैंड -3 (रुपए 15600-39100) + समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता	लागू नहीं	40 वर्ष से अधिक नहीं। नोट: - (केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश या आदेश के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 साल तक का छूट) नोट: - आयु सीमा निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण तारीख यूपीएससी द्वारा किए गए विज्ञापन के अनुसार होगा।

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यता	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र और शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगा या नहीं।
7	8
<p>आवश्यक:</p> <ol style="list-style-type: none"> दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) के अनुसूची के भाग I या भाग II में शामिल योग्यता। किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से दंत सर्जरी में स्नातकोत्तर डिग्री। दंत चिकित्सा परिषद में पंजीकृत होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से अनिवार्य स्नातकोत्तर के बाद <u>अध्यापक</u> / प्रदर्शक / सीनियर रेजिडेंट/व्याख्याता के रूप में विशेषता में 3 वर्ष का अध्यापन अनुभव। <p>नोट 1- अच्छी तरह से योग्य उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर योग्यता में छूट होगी।</p> <p>नोट 2 - अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में अनुभव के बारे में योग्यता में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर छूट होगी। चयन के किसी भी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का मत होगा कि अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उनके लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए की उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो तो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / अवशोषण द्वारा नियुक्ति की विधि तथा विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / अवशोषण द्वारा नियुक्ति के मामले में ग्रेड जिससे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / अवशोषण द्वारा भर्ती किया जाना है
9	10	11
1 साल	<p>सीधी भर्ती:</p> <p>नोट: प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश पर या एक साल या उससे अधिक की अवधि के लिए अन्य परिस्थितियों में स्थानांतरण होने की वजह से रिक्तियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रकी सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर स्थानांतरण पर भरा जा सकता है।</p> <p>(क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारक; या (ii) ग्रेड वेतन 5400 / -रुपये के साथ वेतन बैंड -3 (रु 15600-39100) में 3 वर्ष की नियमित सेवा के साथ।</p> <p>(ख) स्तंभ 7 के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता और अनुभव रखने वाले।</p> <p>नोट: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा मंत्रालय द्वारा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	लागू नहीं

यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो इसका गठन किस प्रकार से किया गया है	किन परिस्थितियों में भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से विचार-विमर्श किया जाना है
12	13
<p>ग्रुप 'ए' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के लिए): -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अपर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय --- अध्यक्ष 2. डीजीएचएस में स्वास्थ्य सेवा उप महानिदेशक (डीडीजी) - सदस्य 3. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय --- सदस्य 	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

6. एसोसिएट प्रोफेसर:

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण
1	2	3
एसोसिएट प्रोफेसर	जैसाकि सहायक प्रोफेसर के पद के लिए अनुसूची की के कॉलम (2) में दर्शाया गया है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित गैर सचिवालयीय

वेतन बैंड और ग्रेड वेतन / वेतनमान	चयन पद या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
4	5	6
ग्रेड वेतन 7600 /रुपए के साथ बैंड-3 (15600-39100 रुपए) + भारत सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दरों पर नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता	चयन	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यता	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र और शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगा या नहीं।
7	8
लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो तो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / अवशोषण द्वारा नियुक्ति की विधि तथा विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / अवशोषण द्वारा नियुक्ति के मामले में ग्रेड जिससे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / अवशोषण द्वारा भर्ती किया जाना है
9	10	11
शून्य	रिक्त पदों के लिए लिंकेज के बिना इन-सीटू के आधार पर पदोन्नति द्वारा।	पदोन्नति वेतन बैंड -3 में (15600-39100 रुपए) - 6600/ रुपए के ग्रेड वेतन के साथ ग्रेड में दो साल की नियमित रूप से सेवा के साथ सहायक प्रोफेसर।

यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो इसका गठन किस प्रकार से किया गया है	किन परिस्थितियों में भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से विचार-विमर्श किया जाना है
12	13
इन-सीटू पदोन्नति पर विचार करने हेतु ग्रुप 'ए' विभागीय पदोन्नति समिति:- 1. अपर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय --- अध्यक्ष 2. डीजीएचएस में स्वास्थ्य सेवा उप महानिदेशक (डीडीजी) - सदस्य 3. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय --- सदस्य	आवश्यक नहीं

7. प्रोफेसर:

पद का नाम	पोस्ट की संख्या	वर्गीकरण
1	2	3
प्रोफेसर	जैसा कि सहायक प्रोफेसर के पद के लिए अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शाया गया है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित गैर सचिवालयीय

वेतनमान	चयन पद या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
4	5	6
8700/- रुपए के ग्रेड पे के साथ वेतन बैंड -4 (37400-67000 रुपए) + भारत सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दरों पर नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता।	चयन	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यता	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र और शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगा या नहीं।
7	8
लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / अवशोषण द्वारा नियुक्ति की विधि तथा विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / अवशोषण द्वारा नियुक्ति के मामले में ग्रेड जिससे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / अवशोषण द्वारा भर्ती किया जाना है
9	10	11
शून्य	रिक्त पदों के लिए लिंकेज के बिना इन- सीटू के आधार पर पदोन्नति द्वारा।	पदोन्नति वेतन बैंड -3 में (15600-39100 रुपए) - 7600/ रुपए के ग्रेड वेतन के साथ ग्रेड में 4 साल की नियमित रूप से सेवा के साथ एसोसिएट प्रोफेसर।

यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो इसका गठन किस प्रकार से किया गया है	किन परिस्थितियों में भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से विचार-विमर्श किया जाना है
12	13
प्रस्तावित	मौजूदा
ग्रुप 'ए' में विभागीय पदोन्नति समिति इन-सीटू संवर्धन पर विचार के लिए: - 1 अपर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण .--- अध्यक्ष के मंत्रालय। 2 डीजीएचएस में स्वास्थ्य सेवा उप महानिदेशक (डीडीजी) - सदस्य। 3. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय --- सदस्य	आवश्यक नहीं

8. प्रोफेसर (एसएजी)

पद का नाम	पोस्ट की संख्या	वर्गीकरण
1	2	3
प्रोफेसर (एसएजी)	जैसा कि सहायक प्रोफेसर के पद के लिए अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शाया गया है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित गैर अनुसचिवीय

वेतन बैंड और ग्रेड वेतन / वेतनमान	कि क्या चयन पोस्ट या गैर-चयन पोस्ट	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
4	5	6
साथ वेतन बैंड -4 (Rs.37400-67000) ग्रेड वेतन 10,000 / - + भारत सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दरों पर नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता।	चयन	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र और शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगा या नहीं।
7	8
लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / अवशोषण द्वारा नियुक्ति की विधि तथा विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / अवशोषण द्वारा नियुक्ति के मामले में ग्रेड जिससे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / अवशोषण द्वारा भर्ती किया जाना है
9	10	11
लागू नहीं	रिक्त पदों के लिए लिंकेज के बिना इन-सीटू के आधार पर पदोन्नति द्वारा।	पदोन्नति वेतन बैंड -4 में (Rs.37400-67000) - Rs.8700 / के ग्रेड वेतन में सात वर्ष नियमित सेवा के साथ प्रोफेसर।

यदि विभागीय पदोन्नति मौजूद है तो इसका गठन किस प्रकार से किया गया है	किन परिस्थितियों में भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से विचार-विमर्श किया जाना है
12	13
ग्रुप ए विभागीय पदोन्नति समिति (इन-सीटू पदोन्नति पर विचार के लिए) - 1. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय --- अध्यक्ष 2. महानिदेशक (स्वास्थ्य सेवा) / अपर-महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा (डीडीजी) – सदस्य 3. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का कोई भी अपर सचिव --- सदस्य	आवश्यक नहीं

1. मैक्सिलोफेशियल सर्जन:

पद का नाम	पद का नहीं।	वर्गीकरण
1	2	3
मैक्सिलोफेशियल सर्जन	1 (2015) * * कार्यभार की भिन्नता के आधार पर	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह-'क'राजपत्रित गैर सचिवालयीय

वेतनमान	चयन पद या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
4	5	6
ग्रेड वेतन 6600 /रुपए के साथ बैंड-3 (15600-39100) + भारत सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दरों पर नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता।	लागू नहीं।	40 वर्ष से अधिक नहीं। नोट: - (केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश या आदेश के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 साल तक छूट) नोट: - आयु सीमा का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की गई विज्ञापि के अनुरूप होगा।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक व अन्य अर्हताएं ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में भी लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
7	8	9	10
<p>अनिवार्य'</p> <p>(i) दंत चिकित्सक अधिनियम,1948(1948 का 16)के भाग I अथवा भाग -II में शामिल अर्हता ।</p> <p>(ii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय दंत चिकित्सा में स्नातकोत्तर अर्हता यथा मुख सर्जरी/प्रास्थोडॉण्टिक्स में एमडीएस अथवा समकक्ष ।</p> <p>(iii) अस्पताल में दंत कार्य का 7 वर्ष का अनुभव जिसमें स्नातकोत्तर के उपरांत प्लास्टिक व मैक्जिलो फेसियल सर्जरी में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो ।</p> <p>(iv) दंत चिकित्सा परिषद में पंजीकृत हो।</p> <p>टिप्पण 1:- अन्यथा योग्य अभ्यर्थी होने पर संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अर्हताओं में दी जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2 :- अनुभव संबंधी अर्हता(एं) संघ लोक सेवा आयोग, विवेकानुसार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में चयन के किसी भी स्तर पर, यदि आयोग किराए में इन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में अपेक्षित अनुभव रखने वाले उपलब्ध नहीं हो सकते हैं तो उन रिक्तियों को भरा जा सकता है।</p>	लागू नहीं	1 वर्ष	<p>सीधी भर्ती</p> <p>टिप्पण : कार्मिक के के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण अथवा लंबी बीमारी अथवा अध्ययन छुट्टी अथवा जैसलमेर अथवा किन्हीं अन्य कारण रिक्ती अथवा 1 वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि रहती है तो नियुक्ति अधिकारी केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण भर सकते हैं।</p> <p>(क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद पर हों।</p> <p>(ii) वेतन बैंड -3 (15600-39100 रुपए) ग्रेड पे 5400/-रुपए में 3 वर्ष की नियमित सेवा वाले</p> <p>(ख) कालम 7 में दर्शाए अनुसार सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हता तथा अनुभव रखने वाले ।</p> <p>टिप्पण : नियुक्ति हेतु मंत्रालय द्वारा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को अधिकतम 56 वर्ष की आयु तक ही प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की जा सकेगी ।</p>

<p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना</p>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।</p>
<p>(11)</p>	<p>(12)</p>	<p>(13)</p>
<p>लागू नहीं</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (सबस्थाने पदोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अपर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) - अध्यक्ष 2. उप महानिदेशक (डीडीजी) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य 3. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य 	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।</p>

मैक्जिलो फेसियल सर्जन (वरिष्ठ वेतनमान)

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।
1	2	3	4	5	6
मैक्जिलो फेसियल सर्जन (वरिष्ठ वेतनमान)	मैक्जिलो फेसियल सर्जन की अनुसूची के कालम-2 में दर्शाए अनुसार	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु + ग्रेड वेतन 7600 रु. + भारत सरकार द्वारा समय-समय पर विहित दर पर नान-प्रेक्टिस भत्ता ।	चयन	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में भी लागू होंगी या नहीं।
7	8
लागू नहीं	लागू नहीं

परिबीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
9	10
लागू नहीं	रिक्तियों से लिंक किए बिना इन-सीटू आधार पर।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति वेतन बैंड-3(15600-39100) में ग्रेड वेतन 6600/- में 2 वर्ष नियमित सेवा पूरी किए हुए मैक्जिलो फेसियल सर्जन	विभागीय प्रोन्नति समिति (सर्वस्थाने पदोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) - 1. अपर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) -अध्यक्ष 2. उप महानिदेशक (डीडीजी) स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य 3. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय -सदस्य	आवश्यक नहीं।

3. मैक्जिलो फेसियल सर्जन(एनएफएसजी)

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक व अन्य अर्हताएं ।
1	2	3	4	5	6	7
मैक्जिलो फेसियल सर्जन (एनएफएसजी)	मैक्जिलो फेसियल सर्जन की अनुसूची के कालम-2 में दर्शाए अनुसार	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-4, 37400-67000 रु + ग्रेड वेतन 8700 रु. + भारत सरकार द्वारा समय-समय पर विहित दर पर नान-प्रैक्टिसिंग भत्ता ।	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में भी लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
8	9	10
लागू नहीं	शून्य	रिक्तियों से लिंक किए बिना इन-सीटू आधार पर ।

<p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना</p>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।</p>
<p>(11)</p>	<p>(12)</p>	<p>(13)</p>
<p>प्रोन्नति</p> <p>वेतन बैंड-3(15600-39100) में ग्रेड वेतन 7600/- में 4 वर्ष नियमित सेवा पूरी किए हुए मैक्जिलो फेसियल सर्जन (वरिष्ठ वेतनमान)</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (सबस्थाने पदोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अपर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - अध्यक्ष 2. उप महानिदेशक (डीडीजी) स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य 3. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य 	<p>आवश्यक नहीं।</p>

4.. मैक्जिलो फेसियल सर्जन(एसएजी)

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक व अन्य अर्हताएं ।
1	2	3	4	5	6	7
मैक्जिलो फेसियल सर्जन (एसएजी)	मैक्जिलो फेसियल सर्जन की अनुसूची के कालम-2 में दर्शाए अनुसार	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-4, 37400-67000 रु + ग्रेड वेतन 10000 रु. + भारत सरकार द्वारा समय-समय पर विहित दर पर नान-प्रैक्टिसिंग भत्ता।	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में भी लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
8	9	10
लागू नहीं	शून्य	रिक्तियों से लिंक किए बिना इन-सीटू आधार पर ।
प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति वेतन बैंड-3(37400-67000) में ग्रेड वेतन 8700/- में 7 वर्ष नियमित सेवा पूरी किए हुए मैक्जिलो फेसियल सर्जन(एनएफएसजी)	विभागीय प्रोन्नति समिति (सबस्थाने पदोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) - 1. सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - अध्यक्ष 2. महानिदेशक/अपर महानिदेशक, (स्वास्थ्य सेवा) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य 3. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य	आवश्यक नहीं

